

18.6.18

पत्रावली आज शमल्य लोक न्यायालय
द्वारा 2018 के कैंप कारीया
में पेश हुई। युक्ति बलवाट विद्वे
किता जा युका ही कता इन कविद
में मागे के कर्षवली का छव कोई
अचित्त नहीं रहा किता इन कविद
में कर्षवली कर्षवली इनी स्वर घर
समाप्त कर न्यायालय द्वारा जारी एका
कादेश दि 14.8.8 को निरस्त किता
जता ही पत्रावली फसल शुमार हेकर
दाखिल अपर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन